न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2015-00014 RAAJodhpur2015-74RTA223 Punaram ors Vs Narpatlal etc

1. पूनाराम के कायम मुकाम –
   1.1. छोटीदेवी पत्नी स्व० श्री पूनाराम जी
   1.2. मूलसिंह पुत्र स्व० श्री पूनाराम जी
   1.3. दुर्गासिंह के कायम मुकाम –
      1.3.1. बसन्ती पत्नी स्व० दुर्गासिंह
      1.3.2. अभिषेक पुत्र स्व० दुर्गासिंह
      1.3.3. दीपक पुत्र स्व० दुर्गासिंह (अभिषेक एवं दीपक दोनों नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती बसन्ती) सभी जातियान माली निवासी बेरा बावडी, बड़ली नेड, चौखा जोधपुर
   1.4. ललिता पुत्री स्व० पूनाराम जी पत्नी गोविन्दसिंह माली, निवासी– सुभाष चौक सूरसागर, जोधपुर।
2. प्रेमाराम पुत्र स्व० दौलाराम माली
3. फाऊलाल के कायम मुकाम –
   3.1. दुर्गा पत्नी स्व० फाऊलाल माली
   3.2. प्रदीप पुत्र स्व० फाऊलाल माली.
   3.3. अनिल पुत्र स्व० फाऊलाल माली,
   3.4. सुरेश पुत्र स्व० फाऊलाल माली,
4. पुखराज पुत्र स्व० छैलाराम,
5. चन्द्राराम के कायम मुकाम –
   5.1. सम्पूदेवी पत्नी स्व० चन्द्राराम,
   5.2. जगदीश पुत्र स्व० चन्द्राराम,
   5.3. सेठाराम पुत्र स्व० चन्द्राराम,
   5.4. मन्जूदेवी पुत्री स्व० चन्द्राराम,
6. कमला पुत्री स्व० छैलाराम,
7. जमू पुत्री स्व० छैलाराम,
8. भगू पुत्री स्व० छैलाराम,
9. छोटादेवी पुत्री स्व० छैलाराम,

सभी जातियान् माली, निवासीगण बेरा बावड़ी गांव बडली नेड़ तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1. नरपतलाल पुत्र श्री नत्थूराम जी माली, निवासी– बेरा बावड़ी, गांव बड़ली नेड़, तहसील व जिला जोधपुर।
2. दाखुदेवी के कायम मुकामः –
   2.1. रमेश पुत्र हरिराम गहलोत
   2.2. महेश पुत्र हरिराम गहलोत
   2.3. बद्रीनारायण पुत्र हरिराम गहलोत पता– 198 श्रीराम भवन, एस एस. टॉवर के पास, कमला नेहरू नगर, जोधपुर।
   2.4. रामकन्या पत्नी स्व० गणपतसिंह टाक पुत्री हरिराम पता नई भाखरी बास, शांति वाटिका के पास, सूरसागर, जोधपुर।
   2.5. रामजोत पत्नी हीराराम जी देवड़ा, पुत्री हरिराम जी गहलोत, पता– गोलासनी, जोधपुर।
3. भंवरीदेवी के कायम मुकाम –
   3.1. मदनलाल पुत्र नत्थुराम जी माली
   3.2. छगनलाल के कायम मुकाम –
      3.2.1. मगराज पुत्र स्व० छगनलाल
      3.2.2. मनोहर पुत्र स्व० छगनलाल
      3.2.3. मिम्मा पत्नी बाबूजी भाटी, पुत्री स्व० छगनलाल, पता– आतुना बेरा, कैरू, तहसील व जिला जोधपुर ।
   3.3. दमु पुत्री नत्थुराम जी माली,
   3.4. शामु पुत्री नत्थुराम जी माली पता मगरा पूजला बास गांव चीखा तहसील व जिला जोधपुर
4. सहायक अभियंता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मण्डोर, जोधपुर
5. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17 जुलाई 2010 सहायक कलक्टर जोधपुर राजस्व मूल वाद संख्या 227/2008 अनवान नरपतलाल बनाम पूनाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री जे. गहलोत, श्री के.के. भाटी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री सुमेरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 05

नि र्ण य

दिनांक : 10 फरवरी 2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर जोधपुर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 227/2010 अनवान नरपतलाल बनाम पूनाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17 जुलाई 2010 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 05 जुलाई 2015 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या एक ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ग्राम बडली नेड़ तहसील व जिला जोधपुर के खसरा संख्या 589 रकबा 25 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 590 रकबा 0.01 बिस्वा सामलाती गैर मुमकिन बेरा, खसरा संख्या 591 रकबा 0.12 बिस्वा गैर मुमकिन बेरा, खसरा संख्या 592 रकबा 0.04 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता कुल खसरान 4 रकबा 26 बीघा 02 बिस्वा के संबंध में पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारां निर्णय प्राथमिक डिकी दिनांक 19 जुलाई 2010 के जरिये वादी के वाद को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। सर्वप्रथम अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर अपनी बहस में निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स पर विधिवत तामिल कराये बिना उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर एकतरफा निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जिससे अपीलांट्स को आलौच्य निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी नहीं हो सकी। अपीलांट्स को निर्णय व डिकी की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10/09/2015 को अधीनस्थ न्यायालय में अन्य अधिवक्ता के साथ श्रीमान अधीनस्थ न्यायालय में जाने से जानकारी हासिल करने पर पता चला कि मामले में तारीख 10/09/2015 है। अपीलांट्स ने निर्णय व डिकी और मुकदमे की अन्य नकलों हेतु 14/09/2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकले दिनांक 29/09/2015 को मिलने पर आलौच्य निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। अपीलांट्स द्वारा जानकारी से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स ने जानबूझकर या उद्देश्य विशेष की प्राप्ति हेतु कोई विलम्ब नहीं किया है, उक्त विलम्ब

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सद्भावी था, जो क्षम्य योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार फरमायी जावे।

गुणावगुण पर अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने सभी अपीलांट्स की तामिल विधिवत रूप से नहीं होने के बावजूद भी एकतरफा कार्यवाही कर एकतरफा निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अपीलांट्स को व्यक्तिगत रूप से नोटिस प्राप्त नहीं हुए है। सभी अपीलांट्स अलग अलग मकानों में स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं। सी०पी०सी० के आदेश 5 नियम 17 व 19 के अनुसार व्यक्तिगत तामिल या इन्कार करने पर 2 स्वतंत्र व्यक्तियों के नाम पते वल्दियत सहित लेने से इन्कार करने / नोटिस चस्पा करने बाबत तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट व ब्यान होना आवश्यक है। विचारण न्यायालय द्वारा बिना किसी रिपोर्ट ही अपीलांट्स के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री रेस्पोडेट्स की मिली भगती (Collusive) से किया गया है। वादी नरपतलाल द्वारा बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत एवं विवादित खसरो बाबत किसी प्रकार का न तो दस्तावेजी सबूत पेश किया है और न ही किसी दस्तावेजी सबूत को प्रदर्शित कर साबित किया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एकतरफा, विधिविरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक तरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 19/07/2010 एवं एक तरफा कार्यवाही दिनांक 11/09/2009 को अपास्त करने का आदेश फरमावे और अपीलान्ट को जवाब बाद पेश करने व सुनवाई का अवसर दिये जाने का आदेश फरमावे । वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस के समर्थन में 2021(2)डी.एन.जे.(राज.)538, ए.आई.आर.2015(एन.ओ.सी.)1086(बोम्बे) की न्यायिक नजीरे पेश की।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात उभय पक्ष की सयुंक्त खातेदारी की भूमि है, जिसमें प्रतिवादी संख्या एक से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दस का 1/2 हिस्सा, वादी का 1/6 हिस्सा तथा शेष हिस्सा बाकी प्रतिवादीगण का है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विभाजन के वाद में विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हक–हिस्से अनुसार ही निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट के वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्से मे किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में उसके हक–हिस्से में परिवर्तन का उज्र उठाया है। अपीलांट्स द्वारा मात्र रेस्पोडेंट संख्या एक को परेशान करने के उद्धेश्य से हस्तगत अपील प्रस्तुत की है तथा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का भी सद्भाविक कारण नहीं बतलाया है। यह उल्लेखनीय है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा विभाजन का वाद सन् 2008 में प्रस्तुत किया है, जिसका आज दिनांक तक निस्तारण नहीं होने से वादी की भूमि का विभाजन नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादग्रस्त आराजी ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 589 रकबा 25 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 590 रकबा 0.01 बिस्वा सामलाती गैर मुमकिन बेरा, खसरा संख्या 591 रकबा 0.12 बिस्वा गैर मुमकिन बेरा, खसरा संख्या 592 रकबा 0.04 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता कुल खसरान 4 रकबा 26 बीघा 02 बिस्वा का पक्षकारों के मध्य माप एवं सीमांकन के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु तहसीलदार जोधपुर को आदेशित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट्स के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हक–हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है।

अपीलांट्स का मुख्य उज्र है कि विचारण न्यायालय द्वारा उन पर सम्यक तामील नहीं करवायी गई तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा अपील स्तर पर मामले के गुणावगुण पर वादग्रस्त आराजीयात के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में हिस्से गलत दर्ज होने अथवा विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये हिस्सों में परिवर्तन किये जाने से संबंध में कोई उज्र नहीं उठाया गया है। केवल तकनीकी आधार पर मामले को प्रतिप्रेषित किया जाना न्याय की मंशा के विपरीत है। ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार पारित किये जाने से उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जोधपुर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 227/2010 अनवान नरपतलाल बनाम पूनाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17 जुलाई 2010 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2015-00014 RAAJodhpur2015-74RTA223 Punaram ors Vs Narpatlal etc

अपीलाण्ट

1. पूनाराम के कायम मुकाम –
   1.1. छोटीदेवी पत्नी स्व० श्री पूनाराम जी
   1.2. मूलसिंह पुत्र स्व० श्री पूनाराम जी
   1.3. दुर्गासिंह के कायम मुकाम –
      1.3.1. बसन्ती पत्नी स्व० दुर्गासिंह
      1.3.2. अभिषेक पुत्र स्व० दुर्गासिंह
      1.3.3. दीपक पुत्र स्व० दुर्गासिंह (अभिषेक एवं दीपक दोनों नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती बसन्ती) सभी जातियान माली निवासी बेरा बावडी, बड़ली नेड, चौखा जोधपुर
   1.4. ललिता पुत्री स्व० पूनाराम जी पत्नी गोविन्दसिंह माली, निवासी– सुभाष चौक सूरसागर, जोधपुर।
2. प्रेमाराम पुत्र स्व० दौंलाराम माली
3. फाऊलाल के कायम मुकाम –
   3.1. दुर्गा पत्नी स्व० फाऊलाल माली,
   3.2. प्रदीप पुत्र स्व० फाऊलाल माली,
   3.3. अनिल पुत्र स्व० फाऊलाल माली,
   3.4. सुरेश पुत्र स्व० फाऊलाल माली,
4. पुखराज पुत्र स्व० छैलाराम,
5. चन्द्राराम के कायम मुकाम –
   5.1. सम्पूदेवी पत्नी स्व० चन्द्राराम,
   5.2. जगदीश पुत्र स्व० चन्द्राराम,
   5.3. सेठाराम पुत्र स्व० चन्द्राराम,
   5.4. मन्जूदेवी पुत्री स्व० चन्द्राराम,

बनाम

रेस्पोडेण्ट

1. नरपतलाल पुत्र श्री नत्थूराम जी माली, निवासी– बेरा बावड़ी, गांव बड़ली नेड़, तहसील व जिला जोधपुर।
2. दाखुदेवी के कायम मुकामः –
   2.1. रमेश पुत्र हरिराम गहलोत
   2.2. महेश पुत्र हरिराम गहलोत
   2.3. बद्रीनारायण पुत्र हरिराम गहलोत पता– 198 श्रीराम भवन, एस एस. टॉवर के पास, कमला नेहरू नगर, जोधपुर।
   2.4. रामकन्या पत्नी स्व० गणपतसिंह टाक पुत्री हरिराम पता नई भाखरी बास, शांति वाटिका के पास, सूरसागर, जोधपुर।
   2.5. रामजोत पत्नी हीराराम जी देवड़ा, पुत्री हरिराम जी गहलोत, पता– गोलासनी, जोधपुर।
3. भंवरीदेवी के कायम मुकाम –
   3.1. मदनलाल पुत्र नत्थुराम जी माली
   3.2. छगनलाल के कायम मुकाम –
      3.2.1. मगराज पुत्र स्व० छगनलाल
      3.2.2. मनोहर पुत्र स्व० छगनलाल
      3.2.3. मिम्मा पत्नी बाबूजी भाटी, पुत्री स्व० छगनलाल, पता– आतुना बेरा, कैरू, तहसील व जिला जोधपुर ।
   3.3. दमु पुत्री नत्थुराम जी माली, शामु पुत्री नत्थुराम जी माली पता मगरा पूजला बास गांव चीखा तहसील व जिला जोधपुर
4. सहायक अभियंता जोधपुर विद्युत वितरण निगम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

7. जमू पुत्री स्व० छैलाराम,
8. भगू पुत्री स्व० छैलाराम,
9. छोटादेवी पुत्री स्व० छैलाराम,
सभी जातियान् माली,
निवासीगण बेरा बावड़ी गांव
बडली नेड़ तहसील व जिला
जोधपुर।

15. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17 जुलाई 2010 सहायक कलक्टर जोधपुर राजस्व मूल वाद संख्या 227/2008 अनवान नरपतलाल बनाम पूनाराम इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 10 फरवरी 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री जे. गहलोत, श्री के.के. भाटी मिनजानिब अपीलाण्ट्स, श्री सुमेरसिंह सोलंकी अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जोधपुर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 227/2010 अनवान नरपतलाल बनाम पूनाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17 जुलाई 2010 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रूपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 10 फरवरी 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकालतनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर